2024/310

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री धीराराम निवासी रेबारीवास, गोदाना धुब्राणा, तहसील शिवगंज जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 64 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जा इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.12.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 29.04.2023 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि पूर्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा संख्या 456/332 के खातेदारी जमीन को पूर्व में किस खाताधारकों के भाग से जमीन आवंटित की गई व कब की गई तथा वर्तमान तरमीम के अनुसार मौके पर खसरा संख्या 456/332, 455/332 व 332 वर्तमान खसरों से लगती नहर व मार्ग है। यह नहर व मार्ग किस खसरा नम्बरों से निकलती है एवं खातेदारी जमीन को काटती है तो उसकी जानकारी तथा इसकी जमीन छोड दी जाए तो शेष जमीन उक्त खसरा संख्याओं की कितनी बचती है। उक्त से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 29.04.2023 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि पूर्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा संख्या 456/332 के खातेदारी जमीन को पूर्व में किस खाताधारकों के भाग से जमीन आवंटित की गई व कब की गई तथा वर्तमान तरमीम के अनुसार मौके पर खसरा संख्या 456/332, 455/332 व 332 वर्तमान खसरों से लगती नहर व मार्ग है। यह नहर व मार्ग किस खसरा नम्बरों से निकलती है एवं खातेदारी जमीन को काटती है तो उसकी जानकारी तथा इसकी जमीन छोड दी जाए तो शेष जमीन उक्त खसरा संख्याओं की कितनी बचती है। उक्त से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/ 2022/1407 [illegible] 05.2023 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया था। अतः उप[illegible] सू[illegible] के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जि[illegible] किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित [illegible] में अपीलांट की अपील [illegible] की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाय[illegible]या। पत्रावली फैसल शुमा[illegible] नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:43:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner